

प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी न्यायोचित समझते हैं।

- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा पिड़ियारा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 14 रकबा 2.0072 हैक्टेयर तथा मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 1219/76 रकबा 2.7923 हैक्टेयर, खसरा नंबर 111 रकबा 4.4111 हैक्टेयर, खसरा नंबर 699 रकबा 1.5702 हैक्टेयर, खसरा नंबर 738 रकबा 5.8032 हैक्टेयर, खसरा नंबर 754 रकबा 2.1529 हैक्टेयर, खसरा नंबर 852 रकबा 2.1125 हैक्टेयर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी चैनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा पिड़ियारा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 14 रकबा 2.0072 हैक्टेयर में से 1.0036 हैक्टेयर उत्तरी भाग तथा मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 1219/76 रकबा 2.7923 हैक्टेयर में से 1.3961 हैक्टेयर उत्तरी भाग, खसरा नंबर 111 रकबा 4.4111 हैक्टेयर में से 2.2055 हैक्टेयर उत्तरी भाग, खसरा नंबर 754 रकबा 2.1529 हैक्टेयर में से 1.0765 हैक्टेयर पूर्वी भाग, खसरा नंबर 852 रकबा 2.1125 हैक्टेयर में से 1.0563 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है।
2. वादी प्रभूसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा पिड़ियारा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 14 रकबा 2.0072 हैक्टेयर में से 1.0036 नजरीनकशानुसार भाग तथा मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 1219/76 रकबा 2.7923 हैक्टेयर में से 1.3962 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 111 रकबा 4.4111 हैक्टेयर में से 2.2056 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 754 रकबा 2.1529 हैक्टेयर में से 1.0764 हैक्टेयर पश्चिमी भाग, खसरा नंबर 852 रकबा 2.1125 हैक्टेयर में से 1.0562 पश्चिमी भाग रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 पृथ्वीसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 699 रकबा 1.5702 पूरा व खसरा नंबर 738 रकबा 5.8032 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
4. वादी संख्या 2 व 3 के हक बंट में मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। निर्णय आज दिनांक 24/02/22 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल